

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क्रमांक-50 / 2011
संस्थित दिनांक-02 / 02 / 2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा थाना रूपझर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

विरुद्ध

देवसिंह पिता वीरसिंह मरकाम उम्र-28 वर्ष,
साकिन किनारदा, थाना रूपझर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियुक्त**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-27 / 02 / 2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक-07.01.11 को समय 10:00 बजे ग्राम जामटोला (पोला पटपरी) लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा क्रमांक-सी.जी.04 सी. 9361 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत अजित को ठोस मारकर उपहति एवं घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 07.01.11 को 10:00 बजे ग्राम जामटोला स्थित फरियादी उर्मिलाबाई के घर के सामने फरियादी बाजार जाने के लिए घर से निकलकर जीप में बैठी थी, तभी आरोपी तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल को चलाते हुए लाया और उसके छःह वर्षीय पुत्र अजित को ठोस मार दिया जिससे उसे शरीर में चोटें आईं। आरोपी ने आहत अजित की चोट का ईलाज कराने का आश्वासन देने के बाद भी ईलाज नहीं कराया तो फरियादी उर्मिला ने उसके विरुद्ध थाना रूपझर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-1/2011 धारा-279,337 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर आहत अजित का मुलाहिजा कराया। घटनास्थल का मौकानक्शा तैयार किया। आरोपी से दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये। आहत अजित की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिभंग पाए जाने एवं आरोपी के पास वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति न होने के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.

वि. एवं धारा 3/181 मोटरयान अधिनियम का इजाफा किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338, एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-07.01.2011 को समय 10:00 बजे ग्राम जामटोला (पोला पटपरी) थाना रूपझर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल हीरोहीण्डा क्रमांक-सी.जी.04 सी. 9361 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत अजित को ठोस मारकर साधारण व घोर उपहति कारित की ?
3. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— उर्मिलाबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानती है। आहत अजित उसका लड़का है। घटना लगभग 3 साल पहले की दिन के 11 बजे की है। उसका लड़का अजित रोड के किनारे साईड में खड़ा था और आरोपी भण्डेरी तरफ से मोटरसाइकिल चलाते हुए आया और अजित को ठोस मार दिया, जिससे उसके हाथ और पैर में चोट आई थी। वह नहीं बता सकती कि उक्त दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, क्योंकि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना रूपझर में की थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित करने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी ने मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर उसके लड़के को ठोस मार दिया था, किन्तु साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने ठोस मारते हुए नहीं देखा था तथा बस्ती वालो ने घटना को देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वाहन किस गति से चल रहा था, उसने यह भी नहीं देखा था। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी इस कारण यह नहीं बता सकती कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई। इस प्रकार साक्षी ने घटना की चक्षुदर्शी साक्षी व सूचनाकर्ता होते हुए भी आरोपी

के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया गया है।

6— मेमसिंह तेकाम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग 3-4 वर्ष पूर्व ग्राम जामटोला उसके घर के पास की है। आहत अजित सिंह उसके मामा का लड़का है, जब अजित मार्शल वाहन के सामने से रोड़ पार करके उसके घर आ रहा था, तभी आरोपी देवसिंह की मोटरसाइकिल उकवा तरफ से तेजी से आया और भीड़-भाड़ वाले स्थान पर मोटरसाइकिल को कंट्रोल न करते हुए अजित को टक्कर मारकर लगभग-10-15 कदम खींचते हुए लेकर गया। आरोपी को वहीं पकड़कर उसकी मोटरसाइकिल को वहीं खड़ी कर दिये थे। इसी साक्षी का कहना है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कोई मोटरसाइकिल एवं उसके दस्तावेज जप्त नहीं किये थे, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने जप्तीपत्रनामा प्रदर्श पी-1 के अनुसार मोटरसाइकिल आरोपी से जप्त किये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी, इस कारण वह नहीं बता सकता कि आरोपी गाड़ी कैसे चला रहा था और दुर्घटना किसकी गलती से हुई। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आहत अजित तेज गति से दौड़ने के कारण दुर्घटना कारित हुई थी तथा उसमें अजित की गलती नहीं थी।

7— धरम सिंह (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। आहत अजित उसका लड़का है। दुर्घटना लगभग 4 वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को जब वह काम से वापस आया था तो उर्मिलाबाई ने उसे बताया था कि आरोपी देवसिंह ने उसके लड़के अजित को मोटरसाइकिल से ठोस मार दिया है। पुलिस ने उसके कोई बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर उसने यह स्वीकार किया है कि उसे उर्मिलाबाई ने बताई थी कि आरोपी ने मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर अजित को टक्कर मारी थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय उर्मिलाबाई मार्शल में बैठी थी। साक्षी ने मुख्य रूप से उर्मिलाबाई के बताए जाने पर घटना की जानकारी होना प्रकट किया है, जबकि स्वयं उर्मिलाबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना होते हुए नहीं देखी जाने के कथन किये हैं। इस प्रकार इस साक्षी के कथन का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

8— कमलेश (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी देवसिंह एवं आहत अजित को पहचानता है। घटना करीब 3 साल पुरानी सुबह 11 बजे की है। वह भण्डेरी से घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में बाजार का दिन था, तो एक बच्चा अजित दौड़ते हुए आया और आरोपी की मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिससे अजित को पैर में चोट लगी थी। साक्षी का कहना है कि उक्त दुर्घटना आहत

अजित की गलती से हुई थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चला रहा था इस कारण आहत अजित को चोट आई थी। इस प्रकार इस साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में कथन करते हुए स्वयं आहत अजित की गलती से दुर्घटना कारित होना और आरोपी की गलती से दुर्घटना कारित होने से इंकार किया है।

9— डॉ. डी.के. राउत (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-31.01.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 08.01.11 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत अजित कुमार के दाहिने जांघ एवं सीने का एक्सरे किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-88 था। उसे डॉ. माने द्वारा एक्सरे हेतु रेफर किया गया था। उसे आराक्षक खेमराज क्रमांक-537 ने एक्सरे कराने लाया था। उपरोक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके दाहिने जांघ की फीमर के नीचले एक तीहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था। सीने की हड्डियों में कोई अस्थिभंग नहीं था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि घटना के समय आहत अजित कुमार को अस्थिभंग होने के कारण घोर उपहति कारित हुई थी।

10— लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक 09.01.2011 को थाना रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उर्मिलाबाई की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी देवसिंह के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-01/2011, धारा-279,337 भा.द.वि. का लेख किया था, जो प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर तथा उर्मिलाबाई की अंगूठा निशानी है। आहत अजित सिंह को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट भेजा था। साक्षी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

11— अनुसंधानकर्ता के.पी. मिश्रा (अ.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 11.01.2011 थाना रूपझर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-1/11, धारा-279, 337 भा.द.वि. का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भागचंद की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने भागचंद, बुधेसिंह, मेनसिंह, कमलेश एवं दिनांक 12.01.2011 को धरमसिंह, उर्मिलाबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक 15.01.2011 को आरोपी देवसिंह से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी.04/सी. 9361, एक रजिस्ट्रेशन जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही साक्षियों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 की कार्यवाही की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कराकर, परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। घटना के समय आरोपी के पास वाहन चलाने का लायसेंस न होने से धारा

3/181 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया था। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी थाना प्रभारी को प्रेषित किया गया था। साक्षी ने मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

12— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि स्वयं सूचनाकर्ता उर्मिलाबाई (अ.सा.1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप साक्ष्य पेश न करते हुए आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित मोटरसाइकिल का चालन करने और दुर्घटना कारित करने का समर्थन नहीं किया है। मामले में प्रस्तुत साक्षीगण के कथन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि घटना के समय आहत अजित को मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से अस्थिभंग कारित हुई थी, किन्तु उक्त दुर्घटना आरोपी के द्वारा ही वाहन को उतावलेपन से या उपेक्षा से चलाए जाने के कारण हुई। इस संबंध में साक्ष्य का अभाव है। अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी कमलेश (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में स्वयं आहत अजित के दौड़ते हुए आरोपी की मोटरसाइकिल से टकराए जाने और आहत अजित की गलती से दुर्घटना कारित होना प्रकट किया है। ऐसी दशा में अभियोजन मामले में प्रस्तुत उक्त संदेहास्पद परिस्थिति को अभियोजन ने स्वयं साक्ष्य में दूर नहीं किया है जिसका लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त होता है।

13— प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि मात्र आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन का चालन किये जाने के तथ्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उसके द्वारा वाहन को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चालन किया जाकर आहत अजित को घोर उपहति कारित की गई थी। यद्यपि मामले में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की जप्ती कार्यवाही एवं आरोपी के पास घटना के समय वाहन चालन की अनुज्ञप्ति न होने के तथ्य को अभियोजन की ओर से संदेह से परे प्रमाणित किया गया है जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। स्वयं आरोपी ने घटना के समय की वैध अनुज्ञप्ति होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस कारण यह तथ्य अभियोजन की ओर से प्रमाणित है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा कमाक—सी. जी. 04 सी. 9361 को बिना अनुज्ञप्ति के चलाया जाकर मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 का अपराध किया गया है।

14— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाइकिल हीरोहोण्डा कमाक—सी.जी. 04 सी. 9361 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करते हुए उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत अजित को ठोस मारकर उपहति या घोर उपहति कारित की। अभियोजन की ओर से मात्र यह प्रमाणित किया गया है कि आरोपी के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित वाहन का बिना अनुज्ञप्ति के चालन किया जा रहा था। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर

मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

15— आरोपी के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अंतर्गत 500/—(पांच सौ रुपये) की अर्थदण्ड की राशि से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

16— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है।

17— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल हीरोहोण्डा क्रमांक—सी.जी.04 सी. 9361 को मय दस्तावेज के उसके पंजीकृत स्वामी को अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट